STARRED ASSEMBLY QUESTION NO.*1441

SH. PARMOD KUMAR VIJ, MLA:

Q: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:

a) Whether it is a fact that the people of Panipat are more effected with the Pollution and other side effects from IOCL Refinery plant in Panipat;

b) Whether any preference in employment/job has been given to the local residents in recruitments of the said plant;

c) If so, the details thereof together with the number of local residents who got jobs in the said plant so far; and

d) If not, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide reservation in employment to the local residents in the said plant in future together with the number of seats reserved in the said plant at present.

Reply:

DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA.

Sir, a statement is laid on the table of the House.

Statement in respect of Starred Assembly Question No.*1441 asked by Sh. Parmod Kumar Vij, MLA

a) i) As per report received from HSPCB, it has been informed that a study was done by the Joint Committee in matter of Hon'ble NGT in O.A. No.738/2018 titled as Satpal Singh, Sarpanch, Singhpura-Sithana Vs IOCL & Ors as per orders of Hon'ble NGT. The data of air/water borne disease obtained from Medical Officer, CHC Dadlana, Panipat for the period 2015 to 2019 is given as below.

Year	Water borne diseases	Respiratory diseases
2015	198	1911
2016	60	2449
2017	436	505
2018	388	1157
2019	205	2495

The NEERI in its report has attributed this Air/Water borne diseases to IOC Panipat. The NGT has disposed of the case vide order dated 22.03.2021 directing to implement the restoration plan submitted by the State of Haryana and IOCL which includes installation of Online Continuous Effluent Monitoring System, Medical Checkup of the people, plantation and maintenance of Forest, supply of safe drinking water etc.

ii) IOCL Panipat Refinery vide their letter dated 14.12.2021 has inter-alia informed as under:-

"The Refinery has a robust system for ensuring control and abatement of pollution. All the environmental protection measures are in accordance with the stipulated guideline and law promulgated from time to time. Online analyzers are connected with pollution monitoring authorities.

In all project implementation, prior Environmental Impact Assessment study has been carried out. Subsequently, environment management plan based on the EIA has been prepared and adhered to. Appropriate approval as per the statutory norms has always been taken from the Ministry of Environment, Forest & Climate Change and other statutory authorities like Central Pollution Control Board (CPCB), Haryana Pollution Control Board (HSPCB), PESO, Factory Inspector etc.

Further, it may be informed that all stack emission parameters (SOX, NOX, PM) of Panipat Refinery are within CPCB Standard limit. All stack emission parameters are connected to CPCB/HSPCB through online continuous emission monitoring system (OCEMS). It may also be informed that considering all aspects, Hon'ble NGT court has disposed the case on pollution against Panipat Refinery on 22.03.2021. Further all suggestions given by Hon'ble NGT court has been complied with.

Moreover, as a commitment towards a greener environment, Refinery is taking various measures through CSR and CER. The Refinery is also creating facility (2G Ethanol Plant), 1st of its kind in India, for reducing the stubble burning event in the area, which has immense polluting impact on NCR region. Further, plant (3G Ethanol Plant) is being erected for reducing the global warming gas i.e. carbon dioxide".

b) 1. Vide letter No.PR/HR/VS/1/2021 dated 14.12.2021 received from IOCL Panipat Refinery, it has been informed that since acquisition of land for Panipat Refinery & Petrochemical Complex was done in a phased manner through Government of Haryana, there is no agreement either with the land losers or with the Government of Haryana to provide employment or any other facility to the land losers. However, based on discussion in the Office of Additional Deputy Commissioner, Panipat in 1997, following initiatives for rehabilitation have been taken by IOCL wherein indirect employment opportunities have been extended to the families of the land losers to provide economic opportunities:-

i) Vehicles have been engaged on fixed terms & conditions.

ii) Non-technical petty jobs like grass cutting and drain cleaning have since been awarded to the land losers through their registered Cooperative Societies.

2. For additional land acquired through Govt. agencies after 05.03.2005, Government of Haryana has formulated a scheme for Rehabilitation and Resettlement (R&R) of land losers, wherein land losers are being paid annuity by IOCL for next 33 years over and above the usual land compensation. The amount of annuity being paid is Rs.15,000/- per acre per year which is increased by fixed sum of Rs. 500/- per acre per year.

3. However, based on the available skill of local manpower, they are getting an opportunity to work with contractors, who are working in the Refinery.

c) Not applicable in light of (b) above.

d) No, there is no proposal under consideration of the Government to provide reservation in employment to the local residents in IOCL Panipat Refinery.

तारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या *1441

***1441. श्री प्रमोद कुमार विज, विधायकः** क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) क्या यह सच है कि पानीपत में आई.ओ.सी.एल. रिफाइनरी संयंत्र से होने वाले प्रदूषण और अन्य दुष्प्रभावों से पानीपत के लोग अधिक प्रभावित हुए हैं।

ख) क्या उक्त संयंत्र की भर्ती में स्थानीय निवासियों को रोजगार/नौकरी में कोई वरीयता दी गई है।

ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त संयंत्र में अब तक कितने स्थानीय निवासियों को रोजगार मिला है तथा

घ) यदि नहीं, तो क्या उक्त संयंत्र में वर्तमान में आरक्षित सीटों की संख्या सहित भविष्य में उक्त संयंत्र में स्थानीय निवासियों को रोजगार में आरक्षण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

उत्तर :–

दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री, हरियाणा।

श्रीमान् जी, सभा पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

श्री प्रमोद कुमार विज, विधायक द्वारा पूछा गया तारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या *1441 के संदर्भ में कथन

क) i) एच.एस.पी.सी.बी. से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह सूचित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के मामला संख्या न0 ओ.ए. 738/2018 शीर्षक सतपाल सिंह, सरपंच, सिंहपुरा–सीठाना बनाम आई.ओ. सी.एल. और अन्य के तहत संयुक्त समिति के द्वारा मामले में अध्यनन किया गया था। चिकित्सा अधिकारी, सी.एच.सी. ददलाना, पानीपत से 2015 से 2019 की अवधि के प्राप्त वायु/जल जनित रोग के आकड़े निम्नलिखित हैः–

वर्ष	जल–जनित रोग	श्वसन रोग
2015	198	1911
2016	60	2449
2017	436	505
2018	388	1157
2019	205	2495

राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीटयूट (एन.ई.ई.आर.आई.) ने अपनी रिपोर्ट में आई.ओ.सी., पानीपत को वायु/जल जनित रोगों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। एन.जी.टी. ने केस का निपटान करते हुए अपने आदेश दिनांक 22.03.2021 द्वारा हरियाणा सरकार और आई.ओ.सी.एल. को रिस्टोरेशन प्लान के तहत ऑनलाईन सतत अपशिष्ट प्रणाली की स्थापना, लोगों की चिकित्सा जांच, वृक्षारोपण और वन का रख–रखाव व सुरक्षित पेय जल आदि की व्यवस्था का निर्देश दिया है।

ii) आई.ओ.सी.एल. पानीपत रिफाइनरी ने अपने पत्र दिनांक 14.12.2021 द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ निम्नानुसार सूचित किया हैः –

रिफाइनरी में प्रदूषण के नियंत्रण और कमी को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रणाली है। सभी पर्यावरण संरक्षण उपाय समय–समय पर प्रख्यापित निर्धारित दिशा–निर्देशों और कानून के अनुसार हैं। ऑनलाइन विश्लेषक प्रदूषण निगरानी प्राधिकरणों से जुड़े हुए हैं।

सभी परियोजना के कार्यान्वयन से पूर्व, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन (ईआईए) किया गया है। इसके बाद, ईआईए पर आधारित पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की गई और उसका पालन किया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी), पीईएसओ, कारखाना निरीक्षक आदि से वैधानिक मानदंडों के अनुसार उचित अनुमोदन हमेशा लिया गया है।

इसके अलावा, यह सूचित किया जा सकता है कि पानीपत रिफाइनरी के सभी स्टैक उत्सर्जन पैरामीटर (एसओएक्स, एनओएक्स, पीएम) सीपीसीबी मानक सीमा के भीतर हैं। सभी स्टैक उत्सर्जन

पैरामीटर ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) के माध्यम से सीपीसीबी/एचएसपीसीबी से जुड़े हुए हैं। यह भी सूचित किया जा सकता है कि सभी पहलुओं पर विचार करते हुए माननीय एनजीटी अदालत ने 22.03.2021 को पानीपत रिफाइनरी के खिलाफ प्रदूषण के मामले का निपटारा किया है। इसके अलावा माननीय एनजीटी अदालत द्वारा दिए गए सभी सुझावों का अनुपालन किया गया है।

इसके अलावा, हरित पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में, रिफाइनरी सीएसआर और सीईआर के माध्यम से विभिन्न उपाय कर रही है। रिफाइनरी, क्षेत्र में पराली जलाने की घटना को कम करने के लिए भारत में अपनी तरह का पहला संयंत्र (2जी इथेनॉल प्लांट) भी बना रही है, जिसका एनसीआर क्षेत्र पर अत्यधिक प्रदूषण प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, ग्लोबल वार्मिंग गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए प्लांट (3 जी इथेनॉल प्लांट) लगाया जा रहा है।

ख) 1. आई.ओ.सी.एल. पानीपत रिफाइनरी से प्राप्त पत्र संख्या पीआर/एचआर/वीएस/1/2021 दिनांक 14.12.2021 के माध्यम से सूचित किया गया है कि चूंकि पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए भूमि अधिग्रहण हरियाणा सरकार के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से किया गया था, न ही हरियाणा सरकार के साथ और न ही भूमि खोने वालों को रोजगार या कोई अन्य सुविधा प्रदान करने के लिए कोई समझौता किया है। हालांकि, 1997 में अतिरिक्त उपायुक्त, पानीपत के कार्यालय में चर्चा के आधार पर, आईओसीएल द्वारा पुनर्वास के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं, जिसमें आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए भूमि खोने वाले परिवारों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैंः –

i) वाहनों को निश्चित नियमों और शर्तों के अनुसार लगाया गया है।

ii) गैर–तकनीकी छोटे–मोटे काम जैसे घास काटने और नाली की सफाई इत्यादि भूमि खोने वालों को उनकी पंजीकृत सहकारी समितियों के माध्यम से दिया जाता रहा है।

2. अतिरिक्त भूमि जो कि 05.03.2005 के बाद सरकार के माध्यम से अधिग्रहित की गई, भूमि खोने वालों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (आर एंड आर) के लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना तैयार की, जिसमें सामान्य भूमि मुआवजे के अलावा अगले 33 वर्षों के लिए आई.ओ.सी.एल. द्वारा भूमि खोने वालों को वार्षिक का भुगतान किया जा रहा है। भुगतान की जा रही वार्षिकी की राशि रु.15,000/– प्रति एकड़ प्रति वर्ष है जो कि एक निश्चित राशि रू. 500/– प्रति एकड़ प्रति वर्ष से बढ़ाया जाता है।

3. हालांकि, स्थानीय जनशक्ति के उपलब्ध कौशल के आधार पर, उन्हें रिफाइनरी में काम करने वाले ठेकेदारों के साथ काम करने का अवसर मिल रहा है।

ग) उपरोक्त (ख) के संदर्भ में लागू नहीं है।

घ) नहीं, आई.ओ.सी.एल. पानीपत रिफाइनरी में स्थानीय निवासियों को रोजगार में आरक्षण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।